संख्या-63/2026/I/1499528/2026/11-4099/2/2022

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 21 अक्टूबर, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु TINXSYS प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव पर होने वाले व्यय में उत्तर प्रदेश राज्य की सहभागिता/अंशदान राशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0एस0टी0/(2026-27)/E-271996/47/राज्य कर, दिनांक 25.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु TINXSYS प्रोजेक्ट (Contract Towards Operation and Maintenance of Tax Information Exchange System Project for FY 2026-27) के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव पर होने वाले व्यय में उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता/अंशदान राशि के भुगतान GOODS AND SERVICES TAX NETWORK (जी0एस0टी0एन0) को किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 30,66,784.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-35/2026/I/1292523/2026/11-4099/70/2025, दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित बजट रु0 5000.00 लाख की धनराशि को आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के निवर्तन पर रक्षित किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु TINXSYS प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव पर होने वाले व्यय में उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता/अंशदान राशि का भुगतान,** GOODS AND SERVICES TAX NETWORK (जी0एस0टी0एन0) को किये जाने हेतु शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के निवर्तन पर रक्षित धनराशि रु0 5000.00 लाख में से **रू0 30,66,784.00 (तीस लाख छाछठ हजार सात सौ चौरासी मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in